18.06.2024

-: आदेश :-

यह संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 01/2024 राजस्व उप निरीक्षक, हल्का सं० - 07 - सह - अंचल निरीक्षक (प्रभारी), अनगढ़ा के द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का - 07 - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक, अनगढ़ा ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा - उपरैली अनगढ़ा/213, खाता सं० - 39/49/83, रकबा - 4.99 एकड़ भूमि पंजी-II के भाग सं० - 01, पृष्ठ सं० - 183 पर भागीरथी देवी, पति - बद्रीनाथ सरैया के नाम दर्ज है, जिसका प्राथमिक कालम में जमाबंदी कायम करने का आधार दर्ज नहीं है, जबकि खाता सं० - 39 गैर मजरुआ खास खाते की भूमि है। अतः जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता।

प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रैयत अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

जमाबंदी रैयत की ओर से उनके पुत्र श्री आनंद सरैया, पिता - बद्रीनाथ सरैया ने उपस्थित होकर अपना लिखित में पक्ष प्रस्तुत किया है। साथ में कागजात भी समर्पित किया है तथा माँगे जाने पर मूल कागजात भी प्रदर्शित किया है।

समर्पित लिखित पक्ष तथा कागजातों का अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं:-

(i) एक सादा हुकुमनामा पेश किया गया है जो 15.09.1946 को निर्गत है तथा हुकुमनामा तत्कालीन जमींदार श्री महेश्वरी प्रसाद नारायण देव के द्वारा निर्गत है। पट्टा में मौजा - अनगढ़ा/213, प्लाट सं० - 487/760, रकबा - 4.99 एकड़ दर्ज है।

(ii) जमाबंदी रैयत के नाम से कई लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद जमींदार के स्तर से तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात लगातार ~~निर्गत~~ बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार के स्तर से निर्गत है।

(iii) भूमि पर जमाबंदी रैयत के वारिशान दखलकार हैं।

(iv) राजस्व उपनिरीक्षक हल्का - 07 - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक, अनगढ़ा एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदनानुसार जमाबंदी रैयत के वारिशानों का उपरोक्त वर्णित भूमि के मात्र 3.99 एकड़ (तीन एकड़ निन्यानबे डीसमील) भूमि पर ही दखल है।

(P.T.O)

(v) मौलिक पंजी-II के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी बहुत पुरानी है तथा जमाबंदी रैयत को लगातार लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है।

बहुत लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी तथा जमाबंदी रैयत के दखल के आधार पर उक्त वाद में वर्णित जमाबंदी जिसका पंजी-II के भाग सं०-01, पृष्ठ सं०-183 में भागीरथी देवी, पति-बद्रीनाथ सर्राफा के नाम पर जमाबंदी कायम है, उसके मात्र 3.99 ए० 3.99 एकड़ भूमि पर दखल के आधार पर भूमि के जमाबंदी को नियमितीकरण की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, खोरीमहुआ को भेजें।

18.06.24

~~अंचल अधिकारी~~
अंचल अधिकारी
धनवार

लेखापित एवं संशोधित

18.06.24
अंचल अधिकारी
धनवार

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.06.29 19:40:46 +05:30
Location: 192.168.14.65